وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورة البقرة 196)

# उमरह का तरीका

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी
Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

(سورة البقرة 196)

# उमरह का तरीका

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

# How to perform Umrah?
# उमरह का तरीका

## By
## डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी
## Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

पहला हिंदी संस्करण: मार्च 2016

Address for Gratis Distribution मुफ़्त मिलने का पताः
Dr. Mohammad Mujeeb, Deepa Sarai, Sambhal, UP (2044302) India
डा॰ मोहम्मद मुजीब, दीपा सराय, सभंल, यूपी, इण्डिया (244302)

# विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاۃ وَالسَّلامُ عَلَی النَّبِیِّ الْکَرِیم وَعَلیٰ آلہ وَاَصْحَابہ اَجْمَعِیْن۔

# प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके क़ुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की क़ुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूट्यब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें पैदा न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में ख़ुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख़्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़्ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं। हज व उमरा

से मुतअल्लिक़ उर्दू में तीन किताबें (हज्जे मब्रूर, मुख्तसर हज्जे मब्रूर और उमरह का तरीक़ा) A Concise Hajj Guide अंग्रेज़ी में और मुख्तसर हज्जे मब्रूर हिन्दी में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं। फिल हाल Hajj & Umrah Guide और How to perform Umrah? अंग्रेज़ी और हिन्दी में प्रकाशित की जा रही हैं। यह तमाम किताबें (हज और उमराह गाइड, मुख़्तसर हज्जे मबरूर और उमरह का तरीका) हाजियों के साथ दस साल के तजुर्बात की रौशनी में मौजूदा ज़माने में होने वाली तामीराती तब्दीलियों को सामने रख कर लिखी गई हैं। अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को क़ुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani

Mohtamim (V.C.) Darul Uloom Deoband

مفتی ابو القاسم نعمانی

مہتمم دار العلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No..........

Date:..... .............

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔ ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ

مہتمم دار العلوم دیوبند

۳/۶/۱۴۳۷ھ

South Avenue, New Delhi 110011
Ph.: 011-23795046 Telefax: 011-23795314

## تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات ووسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگر چہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعّال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات وجد و جہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک سبھا (انڈیا)
وصدر آل انڈیا تعلیمی وملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
**PROF. AKHTARUL WASEY**
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
**Commissioner for Linguistic Minorities in India**
**Ministry of Minority Affairs**
**Government of India**

## تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنا دیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل و ابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق و فصل کے تمام تصورات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا انگیز مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسر کار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ انداز تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک و تشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

# उमरह की अदाएगी का तरीका

## उमरह का हुकुम

साहबे इस्तिताअत के लिए ज़िन्दगी में एक मरतबा उमरह अदा करना सुन्नत है और एक से ज़्यादा करना मुस्तहब है अगरचे बाज़ उलमा के नज़दीक साहबे इस्तिाअत के लिए ज़िन्दगी में एक मरतबा उमरह की अदाएगी वाजिब है।

## उमरह की फ़ज़ीलत

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक उमरह दूसरे उमरे तक उन गुनाहों का कफ्फरा है जो दोनों उमरों के दरमियान सरज़द हों और हज्जे मबरूर का बदला तो जन्नत है। (बुखारी व मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पै दर पै हज व उमरे किया करो, बेशक यह दोनों (हज व उमरह) गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भटठी लोहे और सोने व चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज व उमरह करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं अगर वह अल्लाह तआला से दुआ करें तो वह क़ूबल फरमाए, अगर वह इससे मगफिरत तलब करें तो वह उनकी मगफिरत फरमाए। (इब्ने माजा)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान में उमरे का सवाब हज के बराबर है। (बुखारी व मुस्लिम) दूसरी

रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान में उमरह करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। (मुस्लिम)

## सफर का शुरू करना

घर से रवानगी के वक़्त दो रिकात नफल अदा करें और अल्लाह तआला से सफर की आसानी के लिए उमरह के क़बूल होने की दुआएं करें। अपनी ज़रूरीयात के सामान के साथ अपना पासपोर्ट या इक़ामा, टिकट और खर्च के लिए रकम भी साथ ले लें। मर्द हज़रात हस्बे ज़रूरत एहराम की चादरें भी ले लें।

## सफर में नमाज़ को क़स्र (कम) करना

अगर आप का यह सफर 48 मील यानी तकरीबन 77 किलो मीटर से ज़्यादा का है तो आप अपने शहर की हुदूद से बाहर निकलते ही शरई मुसाफिर हो जाएंगे। लिहाज़ा ज़ुहर, असर और इशा की चार रिकात के बजाए दो रिकात फ़र्ज़ अदा करें और फजर की दो और मगरिब की तीन ही रिकात अदा करें। अलबत्ता किसी मुक़ीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें तो इमाम के साथ पूरी नमाज़ें अदा करें। हाँ अगर इमाम भी मुसाफिर हो तो चार के बजाए दो ही रिकात पढ़ें। सुन्नतों और नफल का हुकुम यह है कि अगर इतमिनान का वक़्त है तो पूरी पढ़ें और अगर जल्दी है या थकन है या कोई और दुशवारी है तो न पढ़ें, कोई गुनाह नहीं अलबत्ता वितर और फजर की दो रिकात सुन्नतों को न छोड़ें ।

## उमरह के अरकान

उमरह में चार अरकान होते हैं।

1) मीक़ात से एहराम बांधना।

2) मस्जिदे हराम पहुंच कर बैतुल्लाह का तवाफ करना।

3) सफा मरवा की सई करना।

4) सर के बाल मुंडवाना

## मीक़ात

मीक़ात असल में वक़्त मुअैय्यन और मकाने मुअैय्यन का नाम है।

## मीक़ाते जमानी

पूरे साल रात, दिन में जब चाहें और जिस वक़्त चाहें उमरह का एहराम बांध सकते हैं लेकिन उम्मुल मोमेनीन हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की हदीस के पेशे नजर हज़रत इमाम अबु हनीफा (रहमतुल्लाह अलैह) ने पांच दिन (9 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा तक) उमरह की अदाएगी को मकरूह तहरीमी करार दिया है खाह हज अदा कर रहा हो या नहीं। हज़रत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की यह हदीस बैहकी में मजकूर है।

## मीक़ाते मकानी

वह मक़ामात जहाँ से हज या उमरह करने वाले हज़रात एहराम बांधते हैं मीक़ात कहलाता है। मीक़ात के एतेबार से पूरी दुनिया की सरज़मीन को शरीअते इस्लामिया ने तीन हिस्सों में तक़सीम किया है।

## हरम

मक्का और उसके चारों तरफ कुछ दूर तक की ज़मीन हरम कहलाती है, इस मुक़द्दस सरज़मीन में गैर मुस्लिमों का आना हराम है। नीज़ हर शख्स के लिए चंद चीज़ें करना हराम हैं चाहे वहाँ का रहने वाला हो या हज व उमरह करने के लिए आया हो। इसी लिए इसको हरम कहा जाता है।

1) यहाँ के खुद उगे हुए दरख्त या पौधे काटना।

2) यहाँ के किसी जानवर का शिकार करना या उसको छेड़ना।

3) गिरी पड़ी चीज (लुक्ता) का उठाना।

हुदूदे हरम के अंदर मुस्तकिल या आरज़ी तौर पर रहने वाले यानी अहले हरम को उमरह का एहराम बांधने के लिए हरम से बाहर हिल में जाना होगा। हिल में सब से करीब जगह तनयीम है जहाँ मस्जिदे आइशा बनी हुई हैजो मस्जिदे हराम से साढ़े सात किलो मीटर के फासले पर है।

## हिल

मीक़ात और हरम के दरमियान की सरज़मीन हिल कहलाती है जिसमें वह चीज़ें हलाल हैं जो हरम में हराम थीं। अहले हिल जिनकी रिहाइश मीक़ात और हुदूदे हरम के दरमियान है मसलन जद्दा के रहने वाले, उमरह का एहराम अपने घर से बांधेगें।

## अफाक़

हरम और हिल के बाहर पूरी दुनिया की सरज़मीन अफाक़ कहलाती है, आफाक़ी हज़रात जब भी उमरह की नियत से मक्का जाना चाहें

तो उनके लिए जरूरी है कि नीचे लिखे हुए पांच मीक़ातों में से किसी एक मीक़ात पर या उससे पहले या उसके मुक़ाबिल एहराम बांधें।

1) अहले मदीना और उसके रास्ते से आने वालों के लिए ज़ुलहुलैफा मीक़ात है जिसको आज कल बिरे अली कहा जाता है। मदीना के क़रीब ही यह मीक़ात वाके है। मक्का से तकरीबन 420 किलो मीटर दूर है।

2) अहले शाम और उसके रास्ते से आने वालों के लिए (मिस्र, लिबिया, अलजज़ाएर, मराक़श वगैरह) जुहफा मीक़ात है। यह मक्का से तकरीबन 186 किलो मीटर दूर है।

3) अहले नजद और उसके रास्ते से आने वालों के लिए (बहरैन, क़तर, दम्माम, रियाज़ वगैरह) करनुल मनाजिल मीक़ात है। इसको आज कल (अस्सैलुल कबीर) कहा जाता है। यह मक्का से तकरीबन 78 किलोमीटर दूर है।

4) अहले यमन और उसके रास्ते से आने वालों के लिए (हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश वगैरह) यलमलम मीक़ात है। इसको आज कल (सादिया) कहा जाता है। मक्का से इसकी दूरी 120 किलो मीटर है।

5) अहले इराक़ और उसके रास्ते से आने वालों के लिए ज़ातुल इर्क़ मीक़ात है। यह मक्का से 100 किलो मीटर मशरिक़ में है।

## एहराम

एहराम बांधने से पहले तहारत और पाकीज़गी का खास ख्याल रखें, नाखून काट लें और ज़ेरे नाफ व बगल के बाल साफ कर लें और एक सफेद चादर ओढ़ लें, तहबन्द नाफ के ऊपर इस तरह बांधें कि टखने खुले रहें और उन्हीं दो कपड़ों में दो रिकात नमाज़ नफल अदा

करें और उमरह करने की नियत करें। ऐ अल्लाह! मैं आपकी रिज़ा के वास्ते उमरह की नियत करता हूँ इसको मेरे लिए आसान फरमा और अपने फज़्ल व करम से क़बूल फरमा। उसके बाद किसी क़दर बुलंद आवाज़ से तीन मरतबा तलबिया पढ़ें। (लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अखिर तक) "**मैं हाज़िर हुं, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं, मैं हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूं, बेशक तमाम तारीफें और सब नेमतें तेरी ही हैं, मुल्क और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं।**

एहराम बांध कर जो तलबिया पढ़ते हैं वह गोया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार के जवाब में अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे मौला! तुने अपने दोस्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इलान कराके हमें अपने पाक घर बुलवाया था, हम तेरे दर पर हाज़िर हैं, हाज़िर हैं, ऐ अल्लाह! हम हाज़िर है। तलबिया पढ़ने के साथ ही आप का एहराम बंध गया, अब से ले कर मस्जिदे हराम पहुंचने तक यही तलबिया सबसे बेहतर ज़िक्र है। लिहाज़ा लिहाज़ा थोड़ी बुलंद आवाज़ के साथ बार बार तलबिया पढ़ते रहें।

## एहराम से मुतअल्लिक बाज़ अहम मसाइल

गुस्ल से फारिग हो कर एहराम बांधने से पहले बदन पर खुशबू लगाना भी सुन्नत है।

चूंकि एहराम की पाबन्दियां तलबिया पढ़ने के बाद ही शुरू होती हैं, लिहाज़ा तलबिया पढ़ने से पहले गुस्ल के दौरान सबुन और तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं नीज़ बालों में कंधी भी कर सकते हैं।

औरतों के एहराम के लिए कोई खास लिबास नहीं, बस गुस्ल वगैरह से फारिग हो कर आम लिबास पहन लें और चेहरा से कपड़ा हटा लें

फिर नियत करके आहिस्ता से तलबिया पढ़ें। औरतें तलबिया हमेशा अहिस्ता आवाज़ से पढ़ें।

औरतें बालों की हिफाजत के लिए अगर सर पर रूमाल बांध लें तो कोई हर्ज नहीं लेकिन पेशानी के ऊपर सर पर बांधें और इसको एहराम को हिस्सा न समझें नीज़ वज़ू के वक़्त खास तौर पर यह सफेद रूमाल सर से खोल कर सर पर ज़रूर मसह करें।

अगर कोई औरत ऐसे वक़्त में मक्का पहुंची कि उसको माहवारी आ रही है तो वह पाक होने तक इंतिजार करे, पाक होने के बाद ही उमरह करने के लिए मस्जिद हराम जाए, उमरह की आदएगी तक उसको एहराम की हालत में रहना होगा।

आज कल चंद घंटों में आदमी मीक़ात पहुंच जाता है और मीक़ात पर काफी भीड़ भी रहती है लिहाज़ा घर से रवानगी से पहले ही हर तरह की पाकी हासिल कर लें। मीक़ात पर पुहंच कर अगर मौका मिल जाए तो गुस्ल कर लें वरना सिर्फ वूज़ूकरके एहराम पहन लें।

अगर आप पहले मदीना जा रहे हैं तो मदीना जाने के लिए किसी एहराम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप मदीना से मक्का जाएं तो फिर मदीना की मीक़ात पर एहराम बांधें।

एहराम की हालत में अगर इहतिलाम हो जाए तो उससे एहराम में कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा और जिस्म धोकर गुस्ल कर लें और अगर एहराम की चादर बदलने की ज़रूरत हो तो दूसरी चादर इस्तेमाल कर लें लेकिन मीया बीवी वाले खास तअल्लुकात से बिल्कुल दूर रहें।

## एक अहम हिदायत

मीक़ात पर पहुंच कर या उससे पहले पहले एहराम बांधना जरूरी है। लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ से जा रहे हैं और आपको जद्दा में उतरना है, जद्दा चूंकि हिल में  है यानी मीक़ात पहले रह जाती है लिहाज़ा आप हावई जहाज़ पर सवार होने से पहले ही एहराम बांध लें या हवाई जहाज़ में अपने साथ एहराम ले कर बैठ जाएं और फिर रास्ता में मीक़ात से पहले पहले बांध लें और अगर मौका हो तो दो रिकात भी अदा कर लें।  फिर नियत करके तलबिया पढ़ें।  एहराम बांधने के बाद नियत करने और तलबिया पढ़ने में  ताखीर की जा सकती है यानी आप एहराम हवाई जहाज़ पर सवार होने से पहले बांध लें और तलबिया मीक़ात के आने पर या उससे कुछ पहले पढ़ें। याद रखें  कि नियत करके तलबिया पढ़ने के बाद ही एहराम की पाबन्दियां शुरू होती हैं।

## तम्बीह

अगर आफाक़ी यानी मीक़ात से बाहर रहने वाला बेगैर एहराम के मीक़ात से निकल गया तो आगे जा कर किसी भी जगह एहराम बांध ले लेकिन उस पर एक दम लाज़िम हो गया। हाँ अगर पहले ज़िक्र की गई पांचों मीक़ातों में से किसी एक पर या उसके मुक़ाबिल पहुंच कर एहराम बांध लिया तो फिर दम वाजिब न होगा। मसलन रियाज का रहने वाला बेगैर एहराम के जद्दा पहुंच गया तो जद्दा या मक्का से एहराम बांधने पर एक दम देना होगा लेकिन अगर उसने पांच मीक़ातों में से किसी एक मीक़ात मसलन अस्सैलुल कबीर, अत्ताइफ पर पहुंच कर एहराम बांध लिया तो फिर दम वाजिब नहीं होगा।

## ममनूआते एहराम

एहराम बांध कर तलबिया पढ़ने के बाद यह चीज़ें हराम हो जातीहैं।

## ममनूआते एहराम मर्द और औरतों के लिए

1) खुशबू का इस्तेमाल करना

2) नाखुन काटना

3) जिस्म से बाल दूर करना

4) चेहरे का ढांकना

5) मीया बीवी वाले खास तअल्लुकात और जिन्सी शहवत के काम करना

6) खुशकी के जानवर का शिकार करना

## ममनूआते एहराम सिर्फ मर्द के लिए

1) सिले हुए कपड़े पहनना

2) सर को टोपी या पगड़ी या चादर वगैरह से ढांकना

3) ऐसा जूता पहनना जिससे पांव के दरमियान की हडडी छुप जाए

## मकरूहाते एहराम

1) बदन से मैल दूर करना

2) साबुन का इस्तेमाल करना

3) कंधा करना

## एहराम की हालत में जाएज़ काम

1) गुस्ल करना लेकिन खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल न करना
2) एहराम को धोना और उसको बदलना
3) अंगूठी, घड़ी, चश्मा, बेल्ट, छतरी वगैरह का इस्तेमाल करना
4) एहराम के ऊपर चादर पर चादर डाल कर सोना मगर मर्द अपने सर और चेहरे को और औरतें अपने चेहरे को खुला रखें

## मस्जिदे हराम की हाज़िरी

मक्का पहुंच कर सामान वगैरह अपने क़यामगाह पर रख कर अगर आराम की ज़रूरत हो तो थोड़ा आराम कर लें वरना वज़ू या गुस्ल करके उमरह करने के लिए मस्जिदे हराम की तरफ इंतिहाई सुकून और इतमिनान के साथ तलबिया पढ़ते हुए चलें। दरबारे इलाही की अज़मत व जलाल का लिहाज रखते हुए दायां कदम अंदर रख कर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हुए मस्जिदे हराम में दाखिल हो जाएं।

## काबा पर पहली नजर

जिस वक़्त खाना काबा पर पहली नजर पड़े तो अल्लाह की बड़ाई बयान कर के जो चाहें अपनी ज़बान में अल्लाह तआला से मांगे क्योंकि यह दुआओं के क़बूल होने का खास वक़्त है।

## तवाफ

मस्जिदे हराम में दाखिल हो कर काबा शरीफ के उस गोशा केसामने आ जाएं जिसमें हजरे असवद लगा हुआ है और तवाफ की नियत

कर लें। उमरह की सई भी करनी है इसलिए मर्द हज़रात इज़्तिबा कर लें (यानी एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकल कर बाएं मूंढे के ऊपर डाल लें) फिर हजरे असवद के सामने खड़े हो कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए हजरे असवद का बोसा लें या दोनों हाथों की हथेलियों को हजरे असवद की तरफ करके हाथों का बोसा लें और फिर काबा को बाएं तरफ रख कर तवाफ शुरू कर दें। मर्द हज़रात पहले तीन चक्कर में (अगर मुमकिन हो) रमल करें यानी जरा मूंढे हिला के और अकड़ के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज़ चलें। तवाफ करते वक़्त निगाह सामने रखें यानी काबा शरीफ आप के बाएं जानिब रहें। तवाफ के दौरान बेगैर हाथ उठाए चलते चलते दुआएं करते रहें या अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। आगे एक छोटे दायरे की शकल की चार या पांच फीट ऊंची दीवार आपके बाएं जानिब आएगी उसको हतीम कहते हैं। (हतीम दर असल बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, इसमें नमाज़ पढ़ना ऐसा ही है जैसा बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ना, अगर तवाफ के बाद मौका मिल जाए तो वहां ज़रूर नफल अदा करें)। उसके बाद जब खाना काबाका तीसरा कोना आ जाए जिसे रूकने यमानी कहते हैं (अगर मुमकिन हो) तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरे वरनाउसकी तरफ इशारा किए बेगैर यूं ही गुज़र जाएं। रूकने यमानी और हजरे असवद के दरमियान चलते हुए यह दुआ बार बार पढ़ें“रब्बाना अतिना आखिर तक“ फिर हजरे असवद के सामने पहुंच कर उसकी तरफ हथेलियों का रूख करें और बिस्मिल्लाह अल्लाहुअकबर कहें और हथेलियों का बोसा लें। इस तरह आपका एक चक्कर पूरा हो गया, इसके बाद बाकी छः चक्कर बिल्कुल इसी तरह करें। कुल सात

चक्कर करने हैं, आखिरी चक्कर के बाद भी हजरे असवद का इस्तिलाम करें और सफा पर चले जाएं।

## तवाफ से मुतअल्लिक बाज़ अहम मसाइल

तलबिया जो एहराम बांधने के बाद से बराबर पढ़ रहे थे मस्जिदे हराम में दाखिल होने के बाद बन्द कर दें।

मताफ में अगर ज़्यादा भीड़ हो या थकन हो रही हो तो तवाफ के बन्द कर सकते हैं लेकिन ममनूआते एहराम से बचते रहें।

तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ जरूरी नहीं है बल्कि जो चाहें और जिस ज़बान में चाहें दुआ मांगते रहें अगर कुछ भी न भी पढ़े बल्कि खामुश रहें तब भी तवाफ सही हो जाता है।

तवाफ के दौरान जमाअत की नमाज़ शुरू होने लगे या थकन हो जाए तो तवाज रोक दें, फिर जिस जगह तवाफ बन्द किया था उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें।

नफली तवाफ में रमल (जरा अकड़ कर चलना) और इज़तिबा नहीं होता है।

नमाज़ की हालत में बाजुओं को ढांकना चाहिए क्योंकि इज़तिबा सिर्फ तवाफ की हालत में सुन्नत है।

अगर तवाफ के दौरान वज़ू टूट जाए तो तवाफ रोक दें और वज़ू करके उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें जहाँ से तवाफ बन्द किया था क्योंकि बेगैर वज़ू के तवाफ करना जाएज़ नहीं है।

तवाफ नफली हो या फ़र्ज़ इसमें सात ही चक्कर होते हैं नीज़ उसकी इब्तिदा हजरे असवद के इस्तिलाम से ही होती है और उसके बाद दो रिकात नमाज़ पढ़ी जाती है।

अगर तवाफ के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से तवाफ पूरा करें।

मस्जिदे हराम के अंदर, ऊपर या नीचे या मताफ में किसी भीजगह तवाफ कर सकते हैं।

तवाफ हतीम के बाहर से ही करें। अगर हतीम में दाखिल हो कर तवाफ करेंगे तो वह मोतबर नहीं होगा।

अगर किसी औरत को तवाफ के दौरान माहवारी शुरू हो जाये तो फौरन तवाफ बन्द कर दे और मस्जिद से बाहर चली जाए।

औरतें तवाफ में रमल (अकड़ कर चलना) न करें, सिर्फ यह मेर्द क लिए खास है।

भीड़ होने के सूरत में औरतें हजरे असवद का बोसा लेने की कोशिश न करें, बस दूर से इशारा करने पर इकतिफा करें। इसी तरह भीड़ होने की सूरत में रूकने यमानी को भी न छुएें।

अगर हजरे असवद के सामने से इशारा किए बेगैर गुजर गुज़र जाऐं और भीड़ ज़्यादा है तो हजरे असवद के इस्तिलाम के लिए दोबारा वापस आने की कोशिश न करें क्योंकि तवाफ के दौरान हजरे असवद का बोसा लेना या उसकी तरफ इशारा करना सुन्नत है वाजिब नहीं है।

## अहम मसअला

बीमार शख्स जिसका वज़ू नहीं ठहरता (मसलन पेशाब के कतरात मुसलसल गिरते रहते हैं या मुसलसल रीह निकलती रहती है या औरत को बीमारी का खून आ रहा है) तो उसके लिए हुकुम यह है कि वह नमाज़ के एक वक़्त में वज़ू करे फिर उस वज़ू से उस वक़्त

में जितने चाहे तवाफ करे, नमाज़ पढ़े और क़ुरान की तिलावत करे, दूसरे नमाज़ का वक़्त दाखिल होते ही वज़ू टूट जाएगा। अगर तवाफ पूरा होने से पहले ही दूसरी नमाज़ का वक़्त दाखिल हो जाए तो वज़ू करके तवाफ को पूरा करे।

## दो रिकात नमाज़

तवाफ से फरागत के बाद मक़ामे इब्राहिम के पास आएं। उस वक़्त आपकी ज़बान पर यह आयत हो तो बेहतर है "**मक़ामे इब्राहिम को नमाज़ पढ़ने की जगह बनाओ**" अगर सहूलत से मक़ामे इब्राहिम के पीछे जगह मिल जाए तो वहाँ वरना मस्जिदे हराम में किसी भी जगह तवाफ की दो रिकात अदा करें। तवाफ की इन दो रिकात `क मुतअल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि पहली रिकात में सूरह काफेरून और दूसरी रिकात में सूरह इखलास पढ़ी जाए। भीड़ के दौरान मक़ामे इब्राहिम के पास तवाफ की दो रिकात नमाज़ पढ़ने की कोशिश न करें क्योंकि इससे तवाफ करने वालों को तकलिफ होती है बल्कि मस्जिदे हराम में किसीभी जगह अदा कर लें।

## मक़ामे इब्राहिम

यह एक पत्थर है जिसपर खड़े हो कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया था, इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमो के निशानात है। यह काबा के सामने एक जालीदार शीशे के छोटे से कुबा में महफूज है जिसके अतराफ पीतल की खुशनुमा जाली नसब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरे असवद और मक़ामे इब्राहिम कीमती पत्थरों में से दो पत्थर है। अल्लाह तआला ने दोनों पत्थरों की रौशनी खत्म कर दी अगर अल्लाह तआला ऐसा न करता यह दोनों पत्थर मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज़ को रौशन कर देते। (इब्ने ख़ुज़ैमा)

## मुलतज़िम

तवाफ और नमाज़ से फरागत के बाद अगर मौक़ा मिल जाए तो मुलतज़िम पर आएं। हजरे असवद और काबा के दरवाजे के दरमियान दो मीटर के करीब काबा की दीवार का जो हिस्सा है वह मुलतज़िम कहलाता है। और इससे चिमट कर खुब दुआएं मांगें। यह दुआओं के क़बूल होने की खास जगह है। हुज्जाजे किराम को तकलीफ दे कर मुलतज़िम पर पहुंचना जाएज़ नहीं लिहाज़ा तवाफ करने वालों की तादाद अगर ज़्यादा हो तो वहां पहुंचने की कोशिश न करें क्योंकि वहां दुआएं करना सिर्फ सुन्नत है।

## आबे ज़मज़म

तवाफ से फरागत के बाद क़िबला की तरफ मुतवज्जह हो कर बिस्मिल्लाह पढ़ कर तीन सांस में खूब सैर हो कर ज़मज़म का पानी पियें और अलहमदु लिल्लाह कह कर यह दुआ पढ़ें अगर याद हो तो "**अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन आखिर तक**" (ऐ अल्लह! मैं आपसे नफा देने वाले इल्म का और कुशादा रिज़्क़ का और हर मर्ज से शिफायाबी का सवाल करता हूँ)। मस्जिदे हराम में हर जगह ज़मज़म का पानी बआसानी मिल जाता है। ज़मज़म का

पानी खड़े हो कर पीना मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म पीलाया तो आप सल्लल्लाहुअलैहि वसल्लम ने खड़े हो कर पीया। (बुखारी) ज़मज़म का पानी पीकर उसका कुछ हिस्सा सर और बदन पर डालना भी मुस्तहब है। हज़रत जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना ज़मज़म का पानी जिस नियत से पीया जाए वही फायदा उससे हासिल होता है। (इब्ने माजा) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूऐ ज़मीन पर सबसे बेहतर पानी ज़मज़म है जो भूके के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा हे। (तबरानी)

## सफा मरवा के दरमियान सई

सफा पर पहुंच कर बेहतर यह है कि ज़बान से कहें "अबदओ बिमा बदअल्लाहु आखिर तक" फिर खाना काबा की तरफ रूख करके दुआ की तरह हाथ उठा लें और तीन मरतबा अल्लाहु अकबर कहें और अगर यह दुआ याद हो तो उसे भी तीन बार पढ़े "ला इलाहा इल्लाहु वहदहु आखिर तक" उसके बाद खड़े हो खूब दुआएं मांगे। यह दुआओं के क़बूल होने का खास मक़ाम और खास वक़्त है। दुआओं से फारिग हो कर नीचे उतर कर मरवा की तरफ आम चाल से चलें। दुआऐं मांगते रहें या अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। सई के दौरान भी कोई खास दुआ लाज़िम नहीं अलबत्ता इस दुआ को भी पढ़ते रहें "रब्बिग फिर वरहम आखिर तक" जब सब्ज़ सुतून (जहां हरी टूयब लाइट

लगी हुई हैं) के क़रीब पहुंचें तो मर्द हज़रात जरा तेज़ रफतार से चलें उसके बाद फिर ऐसे ही हरा सुतून और नजर आएगा वहां पहुंचकर तेज़ चलना बंद कर दें और आम चाल से चलें। मरवा पर पहुंच कर क़िबला की तरफ रूख करके हाथ उठा कर दुआएं मांगें, यह सई का एक फेरा हो गया। इसी तरह मरवा से सफा की तरफ चलें। यह दूसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरह आखरी व सातवां चक्कर मरवा पर खत्म होगा। हर मरतबा सफा और मरवा पर पहुंच कर खाना काबा की तरफ रूख करके दुआएं करनी चाहिए।

## सई से मुतअल्लिक बाज़ अहम मसाइल

सई के लिए वज़ू का होना जरूरी नहीं अलबत्ता अफज़ल व बेहतर है।

हैज़ (माहवारी) की हालत में भी सई की जा सकती है अलबत्ता तवाफ, हैज़ की हालत में हरगिज़ न करें बल्कि मस्जिदे हराम में भी न दाखिल हों। यानी अगर औरत को तवाफ के बाद माहवारी आ जाए तो नापाकी की हालत में सई कर सकती है।

तवाफ से फारिग हो कर अगर सई करने में ताखीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं।

सई को तवाफ के बाद करना शर्त है, तवाफ के बेगैर सई मोतबर नहीं होगी।

सफा व मरवा पर पहुंच कर बैतुल्लाह की तरफ हाथ से इशारा न करें बल्कि दुआ की तरह दोनों हाथ उठा कर दुआएं करें।

सई के दौरान नमाज़ शुरू होने लगे या थक जाएं तो सई रोक दें फिर जहाँ से सई को बन्द किया थी उसी जगह से शुरू कर दें।

तवाफ की तरह सई भी पैदल चल कर करना चाहिए, अलबत्ता अगर कोई उज़्र हो तो कुर्सी पर भी सई कर सकते हैं।
अगर सई के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से सई पूरा करें।
औरतें सई में सब्ज़ सतूनों के दरमियान मर्द की तरह दौड़ कर न चलें।
अगर चाहें तो सई के बाद भी दो रिकात नमाज़ अदा कर लें क्योंकि बाज़ रिवायात में इस का ज़िक्र मिलता है।
नफली सई का कोई सबूत नहीं है, अलबत्ता नफली तवाफ ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए।

## बाल मुंडवाना या कटवाना

तवाफ और सई से फारिग हो कर सर के बाल मुंडवा दें या कटवा दें। मर्द के लिए मुंडवाना अफज़ल है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुंडवाने वालों के लिए रहमत व मगफिरत की दुआ तीन बार फरमाई और बाल कटवाने वालों के लिए सिर्फ एक बार। नीज़ अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में हलक़ कराने वालों का ज़िक्र पहले और बाल कटवाने वालों का ज़िक्र बाद में किया है। लेकिन औरतें चोटी के आखिर में से एक पोरे के बराबर बाल खुद काट लें या किसी महरम से कटवा लें।

## उमरह पूरा हो गया

अब आपका उमरह पूरा हो गया। एहराम उतार दें, सिले हुए कपड़े पहन लें, खूशबू लगा लें। अब आपके लिए वह सब चीज़ें जाएज़ हो

गईं जो एहराम की वजह से नाजाएज़ हो गई थीं।

## उमरह से मुतअल्लिक बाज़ अहम मसाइल

औरत बेगैर महरम या शौहर के उमरह का सफर या कोई दूसरा सफर नहीं कर सकती अगर कोई औरत बेगैर महरम या शौहर के उमरह करे तो उसका उमरह तो अदा हो जाएगा लेकिन ऐसा करने में बड़ा गुनाह है।

औरतें मर्द की तरफ से और मर्द औरतों की तरफ से नफली उमरे बदल अदा कर सकते हैं।

एहराम की हालत में एहराम के कपड़े उतार कर गुस्ल भी कर सकते हैं और एहराम तबदील भी कर सकते हैं।

अगर कोई शख्स हज के महीने (शौव्वाल या ज़िलकादा या ज़िलहिज्जा के पहले अशरा) में उमरह करके अपने घर वापस चला गया और हज के दिनों में सिर्फ हज का एहराम बांध कर हज अदा करे तो यह हज्जे तमत्तो नहीं होगा क्योंकि जमहूर उलमा के नज़दीक हज्जे तमत्तो के लिए शर्त है कि वह उमरह करके अपने घर वापस न जाए।

बाज़ लोगों ने मशहूर कर रखा है कि अगर किसी औरत ने उमरह किया तो उस पर हज फ़र्ज़ हो गया, यह गलत है। अगर वह साहेब इस्तिताअत नहीं है यानी अगर उसके पास इतना माल नहीं है कि वह हज अदा कर सके तो उस पर उमरह की अदाएगी की वजह से हज फ़र्ज़ नहीं होता अगरचे वह उमरह हज के महीनों में ही अदा किया जाए फिर भी उसकी वजह से हज फ़र्ज़ नहीं होगा।

## उमरह में तवाफे विदा जरूरी नहीं है

जमहूर उलमा की राय है कि उमरह की अदाएगी करने वालों पर अपने शहर या वतन वापसी के वक्त तवाफे विदा वाजिब नहीं है। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बहुत से उलमा (जो मुख्तलफफी मसाइल में क़ुरान व सुन्नत की रोशनी में हजरत इमाम अबु हनीफा रहमतुल्लाह अलैह) की राय को बेहतर करार देते हैं) की भी यही राय है। सउदी अरब के साबिक मुफती शैख अब्दुल अजीज बिन बाज़ ने भी मुतमेरीन के लिए तवाफे विदा के वाजिब न होने का फतवा दिया है।

उमरह की अदाएगी की सूरत में तवाफे विदा के वाजिब न होने के अमूमन नीचे मज़मून में दलाइल पेश किए जाते हैं।

1) किसी भी एक सही हदीस में उमरह की अदाएगी के बाद तवाफे विदा के वाजिब होने का ज़िक्र मौजूद नहीं है।

2) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम ने बहुत उमरह किए मगर किसी एक की अदाएगी के बाद भी तवाफे विदा नहीं किया।

3) उमरह में तवाफे विदा के वुजूब के मुतअल्लिक किसी सहाबी का कोई कौल अहादीस की किताबों में मौजूद नहीं है।

4) हजरत आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने हज्जतुल विदा के सफर में हज की अदाएगी के बाद उमरह की अदाएगी की थी मगर किसी भी हदीस में उमरह की अदाएगी के बाद हजरत आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा) का तवाफे विदा करना साबित नहीं है।

हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान "**कोई शख्स तवाफ के बेगैर मक्का से रवाना न हो**" उमरह की अदाएगी में तवाफे विदा के वाजिब होने के लिए दलील

नहीं बन सकता है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का "**कोई भी हाजी तवाफे विदा के बेगैर मक्का से रवाना न हो, हाँ हाईजा औरत बेगैर तवाफे विदा के अपने घर जा सकती है**" हज्जतुल विदा के मौका पर हुज्जाजे किराम से था, जैसा कि जलीलुल कदर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) से इस हदीस की तशरीह मरवी है कि इस में खिताब हुज्जाजे किराम से है। शैख अब्दुल अजीज बिन बाज़ ने अपने मज़कूरा फतवा में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) का बयान लिखा है। नीज़ बाज़ अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़कूरा फरमान इन अलफाज़ के साथ आया है "**जिन हजरात ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है वह अपना आखरी अमल तवाफ को बनाऐं**" जिससे वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि यह हुकुम हज अदा करने वालों के लिए है। रही सही मुस्लिम की हदीस "**यानी उमरह में वह करो जो हज में किया है**" तो यह हदीस उमरह में तवाफे विदा के वाजिब होने की दलील नहींबन सकती क्योंकि इस हदीस में उमरह में तवाफे विदा के वाजिब होने का कोई ज़िक्र नहीं है और अगर इस हदीस को आम मान लिया जाए तो फिर उमरह में भी मिना, मुज़दलफा और अरफात में जाना जरूरी हो जाएगा जिसका कोई काइल नहीं है। नीज़ तवाफे विदा के वाजिब करार देने में उमरह को हज पर क़यास करना सही नहीं है क्योंकि उमरह के आमाल घंटों में जबकि हज के आमाल दिनों में पूरा होते हैं।

बाज़ हजरात ने तिर्मीज़ी में लिखी हुई हदीस "**मन हज्ज अव इतमर आखिर तक**" को उमरह में तवाफे विदा के वुजूब की दलील बनाई है

हालाँकि यह हदीस कमज़ोर है खुद इमाम तिर्मीज़ी ने इस हदीस को रिवायत करने के बाद हदीस गरीब कहा है। शैख नासिरूद्दीन अलबानी (रहमतुल्लाह अलैह) ने फरमाया कि यह हदीस इस लफ्ज़ के साथ मुंकिर है यानी अवितमर का लफ्ज इस हदीस में सही नहीं है।

## (वजाहत)

अगर कोई शख्स उमरह की अदाएगी के बाद जल्दी ही मक्का से रवाना हो रहा है जैसा कि सउदी अरब के रहने वाले हजरात आम तौर पर महदूद प्रोग्राम के तहत उमरह की अदाएगी के लिए मक्का जाते हैं तो उन हज़रात के लिए उम्मते मुस्लिम तवाफे विदा के वाजिब न होने पर मुत्तफिक है। इखतिलाफ सिर्फ इस सूरत में है जब कोई शख्स उमरह की अदाएगी के बाद मक्का में मुकीम रहे जैसा कि आम तौर पर सउदी अरब के बाहर से आने वाले मुतमेरीन। इन हजरात के लिए भी ऊपर ज़िक्र किए हुए दलाइल की रोशनी में जमहूर उलमा की राय है कि तवाफे विदा वाजिब और जरूरी नहीं है। गरज़ ये कि उमरह में तवाफे विदा नहीं है।

## उमरह में बाल मुंडवान या छोटा करवाना

उमरह में अल्लाह तआला के साथ वालिहना मोहब्बत और इस मोहब्बत में सब कुछ भुला देने का इज़हार होता है। सिले हुए कपड़े उतार कर एक कफ़न नुमा लिबास पहन लिया जाता है, अब जिस्म की ज़ीनत का होश है न कपड़ों के हुस्न का, ज़्यादा सफाई का ख्याल है, न बाल काटने का, बस लब्बैक लब्बैक की रट है, नीज़ अल्लाह तआला के घर पहुंच कर दीवानों की तरह काबा और सफा

मरवा के चक्कर लगाना और सर की ज़ीनत बालों को कटवाना है। हलक़ के मानी सर के बाल मुंडवाना और क़सर के मनी बालों का कटवाना है।

उमरह में  हलक़ या क़सर ज़रूरी है, उसके छोड़ने पर एक दम लाज़िम होगा बल्कि हज़रत इमाम शाफई (रहमतुल्लाहि अलैह) के नुक़्तए नज़र में तो हलक़ या क़सर हज/उमरह के अरकान में से है यानि इसके बगैर हज या उमरह अदा हो ही नहीं सकता चाहे कितने ही दम दे दिये जाएं।

पूरी उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि मर्द हज़रात के लिए सर मुंडवाना अफज़ल है इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक़ कराने वालों यानी बाल मुंडवाने वालों के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ तीन मर्तबा  फ़रमाई है और बाल छोटा कराने वालों के लिए सिर्फ  एक बार दुआ फ़रमाई है।

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया ए अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की मगफिरत फरमाइये, सहाबा ने अर्ज़ किया कि बाल कटवाने वालों के लिए (भी दुआ फरमा दीजिये) लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा  भी यही फ़रमाया ए अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की मगफिरत फरमाइये, सहाबा ने अर्ज़ किया कि बाल कटवाने वालों के लिए (भी दुआ फरमा दीजिये) तीसरी मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया और बाल कटवाने वालों की भी मगफिरत फरमाइये। (बुखारी व मुस्लिम)

नीज़ अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में बाल मुंडवाने वालों का ज़िक्र बाल कटवाने वालों से पहले किया है। (सूरह अल फतह 27)

नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बाल ही मुंडवाए। (मुस्लिम)
औरतों के लिए चूँकि सर के बाल मुंडवाना नाजायज़ है, लिहाज़ा उनके लिए सिर्फ क़सर ही है, यानी वह अपनी चोटी के आखिरसे उंगली के एक पूरे के बराबर बाल काट दें। (तिर्मिज़ी)
सर मुंडवाने के लिए ज़रूरी है कि पूरे सर के बाल मूंडे जाएं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे या चौथाई सर के बाल मूंडने से मना फ़रमाया है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रिवायत बुखारी व मुस्लिम में है।
सर मुंडवाने की तरह बालों की कटिंग भी पुरे सर की होनी चाहिए इसलिए कि मज़कूरा आयात में क़सर को हलक़ के साथ ज़िक्र किया है, जब हलक़ पूरे सर का है तो क़सर यानी बालों की कटिंग भी पूरे सर की ही होनी चाहिए, नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म और सहाबाए किराम से किसी भी वक़्त चंद बाल सर के एक तरफ से और चंद बाल दूसरी तरफ से कैं ची से काट कर एहराम खोलना साबित नहीं है, सिर्फ इमाम अूबहनीफा (रहमतुल्लाहि अलैह) ने वुज़ू के मसह पर क़यास करके कम से कम चौथाई सर के बाल काटने की शकल में वुजूब के अदा होने का फैसला दिया है- लिहाज़ा मालूम हुआ कि चंद बाल सर के एक तरफ से और चंद बाल दूसरी तरफ से कैं ची से काट कर एहराम खोल देना जायज नहीं है,ऐसी सूरत में दम वाजिब हो जायेगा, लिहाज़ा या तो सर के बाल मुंड़वाएं या मशीन फिरवाये या इस तरह बालों को कटवाएं कि पूरे सर के बाल कुछ न कुछ कट जाएं। क़ुरान की आयत:
“अपने सर के बाल मुंड़वाओ और छोटा करो” से भी मालूम होता है

कि सर पर कटिंग का असर ज़रूर ज़ाहिर होना चाहिए, चंद बालों की कटिंग से यह मकसद हासिल नहीं होता है।

औरतें अपनी चोटी का सर पकड़ कर एक पूरे के बराबर बाल खुद काट लें या किसी महरम या शौहर से कटवा लें।

सर के बाल हद्दे हरम के अंदर किसी भी जगह कटवा सकते हैं चाहे हज अदा कर रहे हों या उमरह।

बाल मुंडवाने या कटवाने से पहले नह एहराम खोले और न ही नाख़ून वगैरह काटें वरना दम लाज़िम हो जायेगा।

अगर किसी शख्स के सर पर बाल ही नहीं हैं तो वह ऐसे ही सर पर उस्तरा फिरवादे और एहराम उतार दे।

जब हाजी या मोतमिर हज या उमरह के तमाम आमाल से फारिग़ हो जाये और सिर्फ हलक़ या क़सर का अमल बाकी रह गया है तो हाजी या मोतमिर एक दूसरे के बाल कट सकता है।

बाज़ ने अक़्ली दलाएल की रौशनी में जो लिखा है कि चंद बाल क़सर के लिए काफी हैं, उनका मतलूब सिर्फ ऐसे शख्स को दम से बचना है जो ऐसी गलती कर चुका हो, लेकिन उनका पूरा अमल पूरे सर के बाल मुंडवाने या कटवाने का ही है, लिहाज़ा जो मर्द हज़रात अपने बालों की इतनी भी क़ुरबानी नहीं दे सकते कि छोटे करालें तो उनसे मेरी दरखास्त है कि वह ज़िन्दगी में बार बार हज/उमरह न करें।

## उमरह से रोक दिया जाना

रियाज़, बुरैदा और जद्दा से चंद हज़रात ने मसला पूछा। जिससे मालूम हुआ कि इस बुध और जुमेरात को उमरह की अदाएगी के

लिए जाने वाले तकरीबन तमाम हज़रात को Check Post पर Swine Flue की बीमारी के इंतिशार होने के डर की वजह से मक्का जाने से रोक दिया गया। चुनांचे बेशुमार हज़रात एहराम खोल कर उमरह की अदाएगी के बेगैर घर वापस चले गए। लिहाज़ा आप हजरात से दरखास्त है कि मनासिके हज की अदाएगी तक, उमरह करने के लिए मक्का न जाएं।

**(मसअला)** हज या उमरह का एहराम बांधने के बाद अगर किसी शख्स को हज या उमरह की अदाएगी से रोक दिया जाए तो एहराम बांधने वाले शख्स पर एक दम लाज़िम हो जाएगा, नीज़ कज़ा (बाद में अदा) करनी जरूरी होगी जो जिन्दगी में कभी भी की जा सकती है। जैसा 6 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-किराम की एक जमाअत के साथ उमरह की अदाएगी के लिए मदीना से मक्का रवाना हुए। हुदैबिया के मक़ाम पर कुफ्फारे मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम को उमरह की अदाएगी से रोक दिया और सुलह हुदैबिया हुई। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम ने एक एक क़ुर्बानी दी और फिर एहराम उतार कर उमरह की अदाएगी किए बेगैर मदीना वापस हुए। अगले साल 7 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम ने उमरह की कज़ा की।

अल्लाह तआला फरमाता है "हज या उमरह को अल्लाह तआला के लिए पूरा करो" (सूरह अलबकरा 196) यानी हज या उमरह का एहराम बांध लो तो फिर उसका पूरा करना जरूरी है, चाहे नफली हज व उमरह हो। हाँ अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो क़ुर्बानी मुयस्सर

हो उसे कर डालो। अगर रास्ते में कोई रूकावट आ जाए तो एक जानवर यानी एक बकरी और गाए या ऊंट का सातवाँ हिस्सा जो भी मुयस्सर हो ज़बह कर लो।

**(मसअला)** अगर मुहरिम को बीमारी या दुशमन या किसी दूसरी वजह से हज या उमरह की अदमे अदाएगी का खौफ हो तो उसको चाहिए कि एहराम बांधते वक्त यूं कहे कि अगर मुझे कोई परेशानी आ जाए तो मैं वहीं हलाल हो जाऊंगा। इस शर्त के साथ मुहरिम को अगर कोई रूकावट पेश आ जाए तो उसके लिए हलाल होना जाएज़ है और उस पर कोई दम वाजिब नहीं होगा। (अलशैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़)

**(वजाहत)** जिन हज़रात पर हज या उमरह में कोई दम वाजिब हो जाए तो वह उसको अपने लिए कोई सज़ा न समझें, बल्कि यह एक अल्लाह का हुकुम है, इसको खुशी से अंजाम दें। इसकी अदाएगी पर अल्लाह तआला की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, दम का फौरी तौर पर अदा करना जरूरी नहीं होता है।

## एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह की अदायगी

साहबे इस्तिताअत के लिए ज़िन्दगी में एक मर्तबा उमरह अदा करना सुन्नत है और एक से ज़्यादा करना मुस्तहब है, मदीना मुनव्वरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़रीबन चार उमरे की अदायगी फ़रमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरह के बहुत से फ़ज़ाएल बयान किये हैं, जिनमें दो अहादीस नीचे लिखे हुए हैं:

(1) एक उमरह दूसरे उमरह तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दोनों उमरों के दरम्यान सरज़द हों और हज मब्रूर का बदला तो जन्नत ही है- (बुखारी व मुस्लिम)

(2) पै दर पै हज व उमरे किया करो, बेशक यह दोनों (हज व उमरह) गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे और सोने व चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हिन्द व पाक या रियाज़ वगैरह से मक्का जाने वाले हज़रात वक़्त से फायदा उठा कर एक सफर में एक उमरह की अदायगी के बाद हस्बे सहूलत दूसरे या तीसरे उमरह की अदायगी भी करते हैं, मगर बाज़ हज़रात एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह करने को यह कह कर मना करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह नहीं किया, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उमरह करने की तर्ग़ीब दी है जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ज़िक्र किये गए हैं, नीज़ उमरह की अदायगी का कोई वक़्त नहीं, साल में पांच दिन जिनमें हज अदा होता है यानि 9 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक उमरह करना मकरूह है जैसा कि हदीस की मशहूर किताब (बैहिक़ी) में

लिखा है कि हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि इन पांच दिनों के अलावा साल भर में जब चाहें (रात या दिन में) और जितने चाहें उमरह करें, एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह की अदायगी से रोकने के लिए शरई दलील मतलूब है, जो ज़ाहिर है पूरे ज़ख़ीरए हदीस में मौजूद नहीं है, सिर्फ यह कहना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित नहीं है काफी नहीं होगा, मसलन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में उमरह की अदायगी नहीं की, सिर्फ एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया की खास मजबूरी सुन कर रमज़ान में उमरह की फ़ज़ीलत बयान की थी, जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की हदीस में लिखा है, मगर जमूह फुक़हा व उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि एक औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया बयान की गई फ़ज़ीलत क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों (मर्द व औरत) के लिये है अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में कोई उमरह अदा नहीं किया।

(3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत (उम्मे सनान रज़ियल्लाहु अन्हा) से फ़रमाया तुम हमारे साथ हज करने क्यों नहीं जाती? उन्होंने अर्ज़ किया हमारे पानी लानेके दो ही ऊँट थे, एक पर मेरा शौहर और बेटा हज के लिये गया है और एक ऊँट हमारे पानी लाने के लिये छोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छा रमज़ान आये तो उमरह कर लेना, इसलिए कि इसका सवाब भी हज के बराबर है। (सही बुखारी- अब्वाबुल उमरह- उमरह फि रमज़ान) सही मुस्लिम में इस तरह

लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरे साथ हज के बराबर है यानि रमज़ान में उमरह की अदायगी हुज़ूर अकरम सल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की अदायगी के बराबर है। (सही मुस्लिम- किताबुल हज - बाब फज़लुल उमरह फि रमज़ान)

**(वज़ाहत)** जिस तरह कोई शख्स हर साल रमज़ान में उमरह की अदायगी का एहतिमाम कर सकता है इसी तरह एक सफर में एक से ज़्यादा उमरह भी कर सकता है, हाँ उमरह ज़्यादा करने के बजाये तवाफ़ ज़्यादा करना अफज़ल और बेहतर है, जो हज़रात एक से ज़्यादा उमरह करते हैं हर बार सर पर उस्तरा या मशीन फिरवाले या बालों को कटवाले, एक से ज़्यादा उमरह करने के लिये एहराम के कपड़ों को धोना या तब्दील करना ज़रूरी नहीं है, एक मर्तबा उमरह की अदायगी के बाद दूसरे उमरह की अदायगी के लिये मक्का वालों की तरह हरम से बाहर जाना होगा, हिल में मस्जिदे हराम सेसब से ज़्यादा करीब जगह तनयीम है जहाँ से हज़रत आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक़ अपने हज की अदायगी के बाद उमरह का एहराम बांधने के लिये गई थीं, अब इस जगह मस्जिदे आयशा बनी हुई है।

# लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उर्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुसूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor